एसओपी सं.2

फा.सं.VIII/1/एमएस/आईजीएनसीए/2010

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र

सम्मेलन के घटक (विद्वान निर्देशक) संबंधी मानक कार्य-विधि

1. वार्षिक योजना के अनुसार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर व्याख्यानों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं और प्रदर्शनियों का आयोजन करता है (जिन्हें इस मानक कार्य-विधि में सुविधा के लिए इसके बाद 'सम्मेलन' कहा जाएगा)।

2. इनमें से अधिकांश 'सम्मेलन' केंद्र द्वारा किए जा रहे गहन शैक्षिक शोध पर आधारित होते हैं और इनके आयोजन में काफी धनराशि खर्च की जाती है। केंद्र के दायित्वों के अनुसार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से अपेक्षा की जाती है कि वह कार्यक्रमों का विस्तार करे ताकि विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, शिक्षण समुदाय और बड़ी मात्रा में आम जनता में जागरूकता बढ़ाई जा सके।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में यह कहा जाता है कि "विद्वान निर्देशकों" संबंधी यह मानक कार्य-विधि तैयार की गई है ताकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को ऐसे व्यक्तियों की सहायता प्राप्त हो सके जो "विद्वान निर्देशकों" की भूमिका निभा सकें। इस 'सम्मेलन' के विषय के संबंध में "विद्वान निर्देशक' और अधिक अधिगम कर सकें, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र रुचि रखने वाले लोगों और इस 'सम्मेलन' की थीम/विषय से जुड़े लोगों के समूह की सहायता प्राप्त करेगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ऐसे विद्वान निर्देशकों (विद्वानों/ शोधकर्ताओं/ विद्यार्थियों/ व्यक्तियों, जो इस कार्य में रुचि रखते हों) के नाम मांगना चाहेगा। ये नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की वेबसाइट या शैक्षिक संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या सांस्कृतिक संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे।

4. विद्वान निर्देशक अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित में से किसी एक रूप में सहयोग प्रदान करेंगे:

   (i) 'सम्मेलन' के पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करना।;

(ii) संपर्क व्यक्ति के रूप में कार्य करना;

(iii) उन विद्यार्थियों और आम जनता के लिए तकनीकी जानकारीदाता के रूप में कार्य करना, जो प्रदर्शनी को देखने आए हैं;

(iv) 'सम्मेलन' के दौरान राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों के मार्गरक्षी के रूप में कार्य करना; या

(v) 'सम्मेलन' के दौरान अपेक्षित कोई अन्य तकनीकी कार्य करना (ये विद्वान निर्देशक इस कार्य में सहायता करने के योग्य हों)।

5. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र मोटे तौर पर निम्नलिखित मापदंडों का पालन करेगा:

(i) चयन : एक समिति, उम्मीदवारों के कार्यक्षेत्र और इस 'सम्मेलन' की विषय-वस्तु में रुचि के आधार पर उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करेगी।

(ii) समय : सौंपे गए कार्य के क्षेत्र में एक या दो दिन का प्रशिक्षण।

(iii) विद्वान निर्देशकों को दी जाने वाली सहायता : चुने गए "विद्वान निर्देशकों" को अपने दिन-प्रतिदिन के व्यय को पूरा करने के लिए 500/- रुपए (केवल पांच सौ रुपए) प्रति दिन अदा किए जाएंगे। जो विद्वान निर्देशक अपने कार्यों को संतोषजनक ढंग से निष्पादित करेंगे, उन्हें 'प्रतिभागिता प्रमाणपत्र' भी दिया जाएगा।

(iv) यात्रा/अतिथि-सत्कार : दिल्ली से बाहर के "विद्वान निर्देशकों" को संयुक्त आवास और वातानुकूलित श्रेणी ।। का रेल भाड़ा दिया जाएगा।

6. "विद्वान निर्देशक" नामक घटक प्रत्येक बड़े 'सम्मेलन' के अभिन्न अंग होंगे। इस घटक के लिए बजट की व्यवस्था का हिसाब उपर्युक्त दिशानिर्देशों के आधार पर लगाया गया है। आमंत्रित किए जाने वाले "विद्वान निर्देशकों" की संख्या 'सम्मेलन' के विस्तार पर निर्भर करेगी और इसकी सिफारिश 'सम्मेलन' की समन्वय समिति द्वारा की जाएगी।

ह./- जयंत कुमार रे
निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:

1. सभी विभागाध्यक्ष
2. निदेशक (ए)
3. मुख्य लेखा अधिकारी
4. नियंत्रक, मीडिया केंद्र
5. पीडी (केडी)
6. वरिष्ठ लेखा अधिकारी (जेएस, केके, एमसी)
7. एओ (लेखा)
8. एओ (केएन, केडी)
9. परामर्शदाता (सीडीएन)
10. परामर्शदाता (प्रशासन)
11. अनुभाग अधिकारी (एस और एस)
12. अनुभाग अधिकारी (ईएमयू)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:

1. संयुक्त सचिव के निजी सचिव
2. सदस्य सचिव के निजी सचिव